



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या-5511-अ०प्र०(०२अ)/पाकालि/12-76505

दिनांक: 01 दिसम्बर, 2012

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा श्री बशिष्ठ चन्द्र यादव (76505), अधीक्षण अभियन्ता एवं सदस्य, विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ (दिनांक 31-08-2012 अपरान्ह को सेवानिवृत्त) को विद्युत सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (सेवा शर्तों विनियमावली 1978 (यथा संशोधित) के नियम-4 में निहित प्राविधानानुसार, सेवानिवृत्ति के उपरान्त सदस्य, विद्युत सेवा आयोग के पद पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन पुनर्नियुक्त किया जाता है:-

- 1-यह नियुक्ति संविदा पर अग्रिम आदेशों अथवा 61 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक के लिये होगी।
- 2-इनकी सेवायें उक्त अवधि पूर्ण होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये अथवा लाभ अनुमन्य किये समाप्त की जा सकती हैं।
- 3-इनको उक्त पुनर्नियोजन की अवधि में वेतन एवं भत्ते पूर्ववर्ती परिषदादेश संख्या-2159-काविनी/राविप-29/97-7-पीएफपी/89 दिनांक 05-12-1997 के अनुसार देय होंगे।
- 4-इन्हें पूर्व में प्रदत्त अधिकार एवं सुविधायें, जो इन्हें सेवानिवृत्त होने से पूर्व सदस्य, विद्युत सेवा आयोग के रूप में अनुमन्य थी, यथावत् मिलती रहेगी।

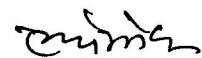
निदेशक मण्डल की आज्ञा से

ब्या-5511-(1)अ०प्र०(०२अ)/पाकालि/12 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
5. अपर सचिव-I/II/III/समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्स० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जानपद), पारिषद-द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र०पा०का० लि०, बी-17, जे-रोड, सेक्टर-सी, महानगर विस्तार, लखनऊ।
9. उपमहाप्रबन्धक (लेखा-प्रशासन)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ
10. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. सम्बन्धित अधिकारी।

आज्ञा से,


(राधे मोहन)

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)